



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE

उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Northern Regional Office, Chandigarh



F.No. -: 9-HRB016/2019-CHA

दिनांक: 26 नवम्बर, 2019

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
हरियाणा सरकार,
हरियाणा सिविल सचिवालय,
चण्डीगढ़ -160001

विषय:- Diversion of 0.3066 ha of forest land in favour of M/s Astin Excavation and Mining Pvt. Ltd. for access to M/s Astin Excavation and Mining Pvt. Ltd., at Village Gohra Bani for transportation of mining and mineral material, under Forest division and District Yamunanagar, Haryana(Online proposal no. FP/HR/Approach/37361/2018) regarding

संदर्भ:- प्रधान मुख्य वन संरक्षण के पत्र क्रमांक प्रशा डी तीन 8670/3725 दिनांक 24.01.2019

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई है। इस प्रस्ताव में इस कार्यालय के सम संख्यक पत्र संख्या दिनांक 01.10.2019 द्वारा सैधानिक स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिस की अनुपालना मुख्य वन संरक्षक के पत्र संख्या प्रशा-डी-तीन-8670/3206 दिनांक 14.11.2019 द्वारा प्राप्त होने के उपरांत केंद्र सरकार उपर्युक्त विषय हेतु 0.3066 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान करती है।

- वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्ष नहीं काटा जाएगा।
- प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार Gohra Bani PF, में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त 6,28,586/- रुपये (Rupees six lakh twenty eight thousand five hundred & eighty six Only) की राशि से 613 पौधे लगाकर किया जायेगा।
- प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।
- User agency will plant at least 10 rows of trees of shelterbelt quality on either side of road and maintain the same till the life of the mine.
- वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा जिसमें वाहनों की पार्किंग शामिल है।
- जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी।
- साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे।
- स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
- केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।
- प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के अनुसार पर्यावरण संरक्षण किया जायेगा।
- कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।
- अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीव का संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास के लिए समय - समय पर लगाई जा सकती है।

xiv. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी व राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

3. मंत्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है। राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी।

भवदीय,


27/11/2019

(सी० डी० सिंह)

उप-वन महानिदेशक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:-

1. अपर वन महानिदेशक (वन), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, इन्द्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षण, हरियाणा सरकार, C-18, वन भवन सैक्टर 6, पंचकुला हरियाणा।
3. Nodal Officer-cum-APCCF (FC), Government of Haryana, Forest Department, Sector-6, Van Bhawan, Panchkula, Haryana. 134009.
4. Divisional Forest Officer, Forest Division & District Yamunanagar, Haryana.
5. M/s Astin Excavation and Mining Pvt. Ltd., Village Gohra Bani, Tehsil Bilaspur, District Yamunanagar, Haryana.